



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 831) पटना, शनिवार, 8 सितम्बर 2018

परिवहन विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2018

सं० 02/कर (संशोधन)-03/2016/परि०-5786—प्रारूप अधिसूचना संख्या-5168, दिनांक 08 अगस्त, 2018 को बिहार गजट में दिनांक 08.08.2018 को प्रकाशित करते हुए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सम्यक् विचारोपरांत इसे अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

- बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 कही जा सकेगी ।
- इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. (क) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 7(1)-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम 2013 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची 1, भाग 'क' के खण्ड 'अ' के कॉलम 4 एवं 5 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साइकिल	व्यक्तिगत मोटर कार एवं 12 बैटान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र ।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 8% की दर से । (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से ।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 8% की दर से । (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से ।

		<p>(iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से ।</p> <p>(iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 12% की दर से ।</p>	<p>(iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहनों पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से ।</p> <p>(iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहनों पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 12% की दर से ।</p>
--	--	--	--

(ख) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उपधारा-(1) एवं धारा-7(8)-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) की धारा-9 के अन्तर्गत अनुसूची-1, भाग-'क', खण्ड-'अ' के कॉलम-4 एवं 5 तथा बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा-3 एवं धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची-1, भाग-'ग', क्रम संख्या-3(क)(ii)(क) में अंकित "वैट रहित" के स्थान पर "Ex-Showroom Price" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा (1)-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 3, 2011) की धारा-15 के अन्तर्गत अनुसूची-1 के भाग-ग के क्रमांक-2 के उपक्रमांक-(क)(ख)(ग)(घ) एवं (ङ) को क्रमशः निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्रम	वाहन का प्रकार	कर
क	1000 किलोग्राम तक निबंधित लदान क्षमता	<p>(i) 1000 किलोग्राम तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर रू0 8000/- उद्गृहित किया जायेगा ।</p> <p>परन्तु उक्त श्रेणी के जो मालवाहक वाहन पूर्व से निबंधित हैं, उन पर एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गई राशि को घटाकर की जाएगी ;</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रू0 8000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।</p> <p>(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने मालवाहकों पर अगले प्रत्येक पांच वर्षों के लिये एक मुश्त कर रू0 8000/- उद्गृहित किया जायेगा ;</p> <p>परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय कर एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी;</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रू0 8000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।</p>
ख	1000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 3000 किलोग्राम से अनाधिक निबंधित लदान क्षमता	<p>(i) 1001 से 3000 किलोग्राम तक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर रू0 6500/- प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के दर से देय होगा;</p> <p>परन्तु ऐसे मालवाहक जो पूर्व से निबंधित हैं, उन पर एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गई राशि को घटाकर की जाएगी ;</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रतिटन अथवा उसके अंश पर रू0 6500/- से</p>

		अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो एकमुश्त कर देय नहीं होगा । (ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने मालवाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिये एक मुश्त कर रु0 6500/- प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के दर से उद्गृहित किया जायेगा ; परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जायेगी ; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रतिटन अथवा उसके अंश पर रु0 6500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।
ग	3000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 16000 किलोग्राम से अनाधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 750/- रु0 प्रति वर्ष ।
घ	16000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 24000 किलोग्राम से अनाधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 700/- रु0 प्रति वर्ष ।
ङ.	24000 किलोग्राम से अधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 600/- रु0 प्रति वर्ष ।

उपर्युक्त कर की दर में 3% की दर से वार्षिक वृद्धि की जायेगी, जो प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी होगा, परन्तु यह वार्षिक वृद्धि वर्ष 2019 से प्रभावी होगी ।

(घ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा (1)-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत अनुसूची-1 भाग-ग के क्रम संख्या-3 (ग) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“3 (ग) तिपहिया वाहन:

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 10,000 (दस हजार) एकमुश्त कर देय होगा ।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 6,700 (छह हजार सात सौ) देय होगा ।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 6,000 (छह हजार) कर देय होगा ।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 15,000 (पन्द्रह हजार) एकमुश्त कर देय होगा ।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 11,000 (ग्यारह हजार) देय होगा ।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 9,000 (नौ हजार) कर देय होगा ।

(ङ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनुसूची- 1 भाग (ग) क्रम संख्या-4-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा-5 की अनुसूची को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

1	मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)	कर की दर वार्षिक (साधारण बस)	कर की दर वार्षिक (सेमी डीलक्स बस)	कर की दर वार्षिक (डीलक्स बस)	कर की दर वार्षिक (वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस)
(क)	13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनाधिक बैठान क्षमता	रु0 550 प्रति सीट	रु0 675 प्रति सीट	रु0 785 प्रति सीट	—
(ख)	27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनाधिक बैठान क्षमता	रु0 600 प्रति सीट	रु0 750 प्रति सीट	रु0 860 प्रति सीट	—
(ग)	33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता	रु0 700 प्रति सीट	रु0 870 प्रति सीट	रु0 1025 प्रति सीट	—
(घ)	वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस	—	—	—	रु0 1300 प्रति सीट

उपर्युक्त कर की दर में 2% की दर से वार्षिक वृद्धि की जायेगी जो प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी होगी, परन्तु यह वार्षिक वृद्धि वर्ष 2019 से प्रभावी होगी।

बिहार वित्त अधिनियम 2014 की धारा-5 की उपर्युक्त अनुसूची के अतिरिक्त शेष यथावत् रहेगी।

(च) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा (1)-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) की धारा-10-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा-4 एवं बिहार वित्त अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 9, 2015) की धारा-14 के अन्तर्गत अनुसूची-1, भाग-‘ग’ के क्रम संख्या-3 (क) (ii) (क) के अन्तर्गत 12 बैठान क्षमता तक के मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब (तिपहिया वाहन को छोड़कर) के कर दर को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

- (i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के व्यावसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 8% की दर से 15 वर्षों के लिये।
- (ii) एक लाख से उपर एवं आठ तक Ex-Showroom Price के व्यावसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से 15 वर्षों के लिये।
- (iii) आठ लाख से उपर एवं 15 लाख तक Ex-Showroom Price के व्यावसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से 15 वर्षों के लिये।
- (iv) 15 लाख से उपर Ex-Showroom Price के व्यावसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 12% की दर से 15 वर्षों के लिये।
- (v) बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) के नियम 10 के उपधारा ‘ख’ एवं ‘ग’ यथावत् रहेगे।

परन्तु मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-I भाग-क के अनुसार पूर्व से निर्बंधित वाहन एवं उनके प्रथम निर्बंधन से उम्र के आधार पर टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब के लिए अधिरोपित एकमुश्त कर देय होगा।

(स्पष्टीकरण:-Ex-Showroom Price का अर्थ है, वाहन का मूल्य CGST, SGST, IGST एवं Compensation Cess सहित।)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

7 सितम्बर 2018

सं० 02/कर (संशोधन)-03/2016/परि०-5786 अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 7 September 2018

No. 02/Tax(Amendment)-03/2016, Trans. 5786—Draft notification no.-5168 dated 08.08.2018 was published in Bihar Gazette on 08.08.2018 and objections/suggestions were invited thereon. After due considerations on received objections/ suggestions it is hereby published finally.

1. Short Name, Extension & Commencement.

- (i) These Act may be called the Bihar Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2018.
- (ii) It shall extend to the whole of The State of Bihar.
- (iii) It shall come into force on the date of its final publication in the Bihar Gazette.

2. (a) Column- 4 and 5 of section-A of part -A of schedule-1, made under section-9 of Bihar Finance Act., 2013 read with rule-7(1) of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 are hereby substituted as following :-

Part	Sl	Stage of Registration	Class of Motor Vehicles	
			Motor Cycle	Motorcars, Jeep and Omnibuses up to seating Capacity of 12 used for personal use
1	2	3	4	5
A		Up to one year of age at the time of Registration or first Registration.	(i) One time tax @ 8% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for up to one lac Ex-showroom price of the two wheeler Motor Vehicle. (ii) One time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above one lac and up to eight lac Ex-showroom price of the two wheeler Motor Vehicle . (iii) One time tax @ 10% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above eight lac and up to fifteen lac Ex-showroom price of the two wheeler motor vehicle. (iv) One time tax @ 12% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above fifteen lac Ex-showroom price of the two wheeler Motor Vehicle.	(i) One time tax @ 8% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for up to one lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor Vehicle. (ii) One time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above one lac and up to eight lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor Vehicle. (iii) One time tax @ 10% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above eight lac and up to fifteen lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor Vehicle. (iv) One time tax @ 12% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above fifteen lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor Vehicle.

(b) "Excluding VAT" written in serial no-3 (a) (ii) (A) in part-c of schedule-1 in section-3 and section-4 of Bihar Finance Act.- 2014 (Bihar Act 15, 2014) and in column-4 and column-5 of section-A, Part-A of schedule-1 of section-9 of Bihar Finance Act (Bihar Act 3, 2013) read with section-7(8) and sub-section 1 of section 9 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 is hereby substituted by "Ex-showroom price".

(c) Sub Serial No. (a), (b), (c), (d) and (e) of serial no.-2 of part c of schedule 1 of section 15 of Bihar Finance Act, 2011 (Bihar Act 3,2011) read with sub section 1 of section 5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 are hereby substituted as following:-

Sl No.	Types of Vehicle	Tax
(a)	Upto 1000 kgs registered laden wight capacity	<p>(i) One time tax of Rs. 8,000/- at the time of registration in the State for a period of ten years from the date of first registration shall be levied for goods vehicles upto 1000 kg weight capacity.</p> <p>Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid before ten years;</p> <p>Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 8000/- as taxes.</p> <p>(ii) For goods vehicles more than ten years old a one-time tax of Rs 8000/- for a period of every five years thereafter, shall be levied:</p> <p>Provided that one-time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after the ten years period or fifteen years period as applicable.</p> <p>Provided further that no one-time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than 8000/- as taxes.</p>
(b)	Exceeding 1000kgs but not exceeding 3000 kgs of registered laden weight capacity	<p>(i) One time tax of Rs. 6500/- per ton or part thereof at the time of registration for a period of ten years form the date of first registration shall be levied on goods vehicles registered upto 1001 to 3000 kg weight capacity.</p> <p>Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid before ten years;</p> <p>Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs.6500/- per ton or part thereof as taxes.</p> <p>(ii) For vehicles more than ten years old a one-time tax of Rs 6500/- per ton or part thereof for a period of every five years thereafter, shall be levied;</p> <p>Provided that one-time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after the ten years period or fifteen years period as applicable;</p> <p>Provided further that no one-time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 6500/- per ton or part thereof as taxes.</p>

(c)	Exceeding 3,000 kgs but not exceeding 16,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 750/- per ton per year or any part thereof
(d)	Exceeding 16,000 kgs but not exceeding 24,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 700/- per ton per year or any part thereof
(e)	Exceeding 24,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 600/- per ton per year or any part thereof

Annual increment of 3% shall be levied in above rate of taxation, which shall be effective from 1st of April every year, but this increment shall be effective from the year, 2019.

(d) Serial No. 3c of part c of schedule 1 of section 11 of Bihar Finance Act-2013 (Bihar Act 3, 2013) read with sub section 1 of sub section 5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 is hereby substituted as following :-

"3(c) Three wheeler-

- (a) Three wheeler with seating capacity not more than 4 persons (excluding driver)
-A one time tax of Rs. 10,000/- shall be levied for 15 years for new registered vehicle.

or

Three wheelers-

- (i) A one time tax of Rs. 6700/- on all three wheelers up to one year of age at the time of registration of a period of ten years from the date of first registration in the State:
(ii) A one time tax of Rs. 6000/- for a period of every five years on three wheelers which are more than ten years old.
(b) Three wheelers with seating capacity up to 7 persons (excluding the driver)-
A one time tax of Rs. 15000/- shall be levied for 15 years from new registered vehicles.

or

- (i) A one time tax of Rs. 11,000/- on all three wheelers up to one year of age at the time of registration of a period of ten years from the date of first registration in the State.
(ii) A one time tax of Rs. 9,000/- for a period of five years on three wheelers which are more than ten years old.

(e) schedule 1 of section 5 of Bihar Finance Act - 2014 (Bihar Act 15, 2014) read with serial no. 4 of part c of schedule 1 of sub section 1 of section 5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 are hereby substituted as following:-

1.	Transport vehicles other than goods carriages, motor cabs and maxi cabs excluding of the driver and conductor.	Annual Rate of Tax (Ordinary Bus)	Annual Rate of Tax (Semi Deluxe Bus)	Annual Rate of Tax (Deluxe Bus)	Annual Rate of Tax (Volvo, Mercedes & Equivalent Bus)
(a)	Seating capacity not less than 13 persons and not more than 26 persons.	Rs. 550 per seat.	Rs. 675 per seat	Rs. 785 per seat	-
(b)	Seating capacity not less than 27 persons and not more than 32 persons.	Rs. 600 per seat.	Rs.750 per seat	Rs. 860 per seat	-

(c)	Seating capacity 33 persons or more.	Rs. 700 per seat.	Rs.870 per seat	Rs. 1025 per seat	-
(d)	Volvo, Mercedes and equivalent buses	-	-	-	Rs. 1300 per seat

Annual increment shall be levied in above rate of taxation, which shall be effective from 1st of April every year, but this increment shall be effective from the year, 2019.

Rest of the above schedule of section-5 Bihar Finance Act, 2014 shall be as it is.

(f) The rate of taxation of Motor cycle/Taxi/Motor Cab/Maxi Cab (excluding Three Wheelers) having seating capacity up to 12 under serial no. 3(a)(ii)(a) of part c, schedule 1 under section 14 of Bihar Finance Act, 2015 (Bihar Act 9, 2015) and section 4 of Bihar Finance Act, 2014 (Bihar Act 15, 2014) read with section 10 of Bihar Finance Act, 2013 (Bihar Act 3, 2013) read with sub section (1) of section 5 of Bihar Motor Vehicle Act, 1994 is substituted as following:-

- (i) One time tax @ 8% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for up to one lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.
- (ii) One time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for above one lac and up to eight lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.
- (iii) One time tax @ 10% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for above eight lac and up to a fifteen lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.
- (iv) One time tax @ 12% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for above fifteen lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.
- (v) Sub -section b and c of rule 10 of Bihar Finance Act, 2013 (Bihar Act 3, 2013) shall be as it is.

Provided that one time tax as applicable shall be levied on the basis of age from vehicles already registered as per schedule -I part -A of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 (as amended).

(Explanation :- Ex-Showroom Price means the cost of Vehicle Including CGST, SGST, IGST and Compensation Cess).

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 831-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>